

गुजरात में फैक्टरी की दीवार ढही, 4 बच्चों की मौत

अहमदाबाद, 29 जून। गुजरात के पंचमहल जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक बंद पड़ी फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे में पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं।

गुजरात के पंचमहल में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बंद पड़ी फैक्ट्री के पास टेंट लगाकर कुछ लोग रह रहे थे। लेकिन भारी बारिश के बाद

- इस हादसे में पांच अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।

अचानक फैक्ट्री की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए।

जिले के एसपी हिमांशु सोलंकी ने बताया कि पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। यह सभी यहां प्रवासी मजदूर थे। बंद पड़ी कैमिकल फैक्ट्री के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। यह साइट हलोल तालुका के चंद्रपुरा गांव में स्थित है। मृतकों बच्चों का परिवार इस फैक्ट्री की दीवार के नीचे तंबू बना कर रहता था।

गहलोत के पैर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव को केन्द्रीय नेतृत्व के निर्णय व निर्देश पर राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की, यह भी एकदम अप्रत्याशित घटनाक्रम रहा। मुख्यमंत्री बघेल को कड़वा घूँट पीकर, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने हेतु केन्द्रीय नेतृत्व के इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा।

राजस्थान में भी निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और नेतृत्व, पार्टी में सब कुछ व्यवस्थित करना चाहता है, लेकिन, गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली ना आना पड़े। राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य पर लंबे समय से नजर रखे हुए एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शायद नेतृत्व को ही जयपुर जाना पड़े, मुख्यमंत्री को झकझोरने और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए।

केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संसद के वापस मानसून सत्र से पूर्व मंत्रिमण्डल में फेरबदल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री सोमवार को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। यह बैठक यहां प्रगति मैदान में नव निर्मित कन्वेशन सेंटर में आयोजित होने की संभावना है। यह कन्वेशन सेंटर सितम्बर में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नड्डा के इस बैठक में भाग लेने के कारण राज्य स्तर सहित भाजपा संगठन और सरकार में बदलावों को लेकर क्रयास लगाए जाने लगे, क्योंकि पार्टी इस साल के अंत में होने जा रहे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिये तैयार हो रही है। गत कुछ दिनों में शाह, नड्डा तथा भाजपा महासचिव की बी.एल. संतोष ने संगठन एवं राजनीति संबंधी मुद्दों पर वार्ता के कई दौर किये हैं। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं।

राजस्थान में औसत से 1 3 7 प्रतिशत ज्यादा बारिश बरस चुकी है

28 जून तक 131.7 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है तथा पिछले साल इसी अवधि के दौरान केवल 47.80 मिलीमीटर बरसात हुई थी

- प्रदेश में सिर्फ चार जिले ऐसे हैं जहां अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि राजस्थान में आधे से ज्यादा जिलों में हो भारी वर्षा चुकी है।

- बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ में हल्की वर्षा हुई. यहां अभी भी बरसात की कमी है। इस बार प्रदेश का जैसलमेर एक मात्र ऐसा जिला है जहां अभी अल्प वर्षा ही हुई।

98, जोधपुर के जसवन्तनगर में 80, कोटा के गांधीनगर में 73.6, पाली के मारवाड़ जंक्शन में 73, टोंक के बिसलपुर बांध क्षेत्र में 72, कोटा के सावन भादों में 70 एवं बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण में 65-65 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में गत 28 जून तक सामान्य औसत

वर्षा 55.32 मिलीमीटर के मुकाबले 131.7 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है जो सामान्य से 137 प्रतिशत अधिक है जबकि गत वर्ष इस दौरान केवल 47.80 मिलीमीटर बरसात हुई।

प्रदेश में अब तक 17 जिलों अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली,

सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं उदयपुर में असामान्य बरसात हो चुकी है तथा छह जिलों अलवर, चुरू, दौसा, जयपुर, झुंझुनू एवं करौली में सामान्य से अधिक बारिश हुई वहीं तीन जिलों बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ में हल्की वर्षा हुई जहां अभी बरसात की कमी है। इस बार प्रदेश का जैसलमेर एक मात्र ऐसा जिला है जहां अभी अल्प वर्षा ही हुई और यहां अब तक सामान्य वर्षा 22.50 मिलीमीटर की जगह केवल 3.50 मिलीमीटर बरसात हुई जो सामान्य से 84.4 प्रतिशत कम है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष इस दौरान केवल चार जिलों में ही असामान्य वर्षा हुई और 16 जिलों में वर्षा की कमी थी।

इस बार राज्य में जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले को छोड़कर संभाग के सभी जिलों में भारी वर्षा हो चुकी है।

राज्यपाल ने जेल भेजे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रहे हैं और कानून व न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इसमें आगे कहा गयाहै कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तथा इंडियन पीनल कोड के तहत राज्य पुलिस उनके खिलाफ कई अन्य केस भी चल रहे हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि मंत्री परिषद में बने रह कर वे कानून की प्रक्रिया एवं निष्पक्ष जांच पर विपरीत प्रभाव डालेंगे, जिससे राज्य की संवैधानिक मशीनरी टूट सकती है।”

राज्यपाल के एक्शन से एक बहस छिड़ गई है कि क्या राज्यपाल को ऐसे मंत्री को हटाने का अधिकार है जिसे जनता ने चुना हो। सामान्य रूप से राज्यपाल को सलाह माननी पड़ती है। मंत्री के चयन, उन्हें पद पर बनाए रखने पर पद से हटाने पर राज्यपाल अनिवार्य रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को सलाह माननी पड़ती है। क्योंकि मुख्यमंत्री को सदन का विश्वास प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि कानून के तहत राज्यपाल को यह करने का

अधिकार नहीं है, “हम कोर्ट जाएंगे।” संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया और केरल के ऐसे मामले का उदाहरण दिया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बाल गोपाल पर से अपनी “प्रसन्नता” (प्लेजर) को हटा लिया था पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह कह कर राज्यपाल की बात को खारिज कर दिया कि राज्यपाल को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

द्रमुक (डी.एम.के.) प्रवक्ता पुहाज़ गांधी ने कहा कि “राज्यपाल की कार्यवाही संघवाद और राज्य की स्वायत्तता पर हमला है और कुछ नहीं।”

मुख्य सचिव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दो वर्ष नई दिल्ली में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में सचिव पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं जुलाई 2017 से अगस्त 2020 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं।

“अजमेर 92” फिल्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को सिर्फ और सिर्फ अजमेर दरगाह और चिश्ती समुदाय के लोगों से जोड़कर दिखाया जा रहा है। ट्रेलर देखने से लगता है कि, घटना अजमेर दरगाह में हुई है और इसके सभी आरोपी चिश्ती समुदाय के ही लोग हैं। जबकि, वास्तव में सच्चाई यह है कि, आरोपियों में से सिर्फ दो लोगों के सरनेम चिश्ती हैं। ऐसे में, 14 जुलाई को रिलीज हो रही इस फिल्म का सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रदर्शन रोका जाए।

याचिका में कहा गया है कि, फिल्म के रिलीज होने से पहले हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए जिसमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, याचिकाकर्ता और उसके वकील को शामिल किया जाए। यह कमेटी सुनिश्चित करे कि, फिल्म के दृश्यों और संवाद में दरगाह शरीफ को लेकर कोई अपमानजनक व आपत्तिजनक सामग्री नहीं दिखाई गई है। इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि, फिल्म या उसके प्रमोशन में दरगाह, दरगाह की रस्मों और चिश्ती

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी चीज को गलत रूप से नहीं दिखाया गया है व दरगाह की छवि को धूमिल भी नहीं किया गया है। यह कमेटी सात दिन में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के विरुद्ध “ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च” निकाला गया। हिंसा से पहले कुकी ग्रामीणों को आरक्षित वन भूमि से निकालने को लेकर छोटे-मोटे आंदोलन हुए। भाजपा ने सदा की तरह गांधी को गैर जिम्मेदाराना बताया। भाजपा नेता संखित पात्रा ने कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए कहा, “यह दुखद है कि राहुल गांधी जिद के कारण मणिपुर जा रहे हैं। इस स्थिति में जिद की बजाय संवेदनशीलता अधिक आवश्यक है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना ही राहुल का जिम्मेवारी से कोई संबंध नहीं है।

‘इलाज में खर्च 10 लाख रु. ब्याज सहित लौटाए जाएं’

जयपुर, 29 जून (का.सं.)। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने हेल्थ पॉलिसी होते हुए भी अडेनोकासिनोमा कैंसर की बीमारी के इलाज पर खर्च राशि देने से इनकार करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए एच.डी.एफ.सी. अरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी पर 22 हजार रुपए हर्जाना लगाया है और विपक्षी कंपनी को निर्देश दिए हैं कि, परिवारी को बीमारी के इलाज पर खर्च हुए दस लाख रुपए, क्लेम खारिज करने की तारीख 14 नवंबर 2019 से भुगतान की तारीख तक तक 7 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करे। अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह, सदस्य शंभू दयाल शर्मा व सीमा शार्दूल ने यह आदेश संजय चोपड़ा के परिवार पर दिए।

स्थाई लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि, परिवारी को 1991 से लेकर 1997 तक बीमारियां हुई थीं और इलाज होने पर वह स्वस्थ हो गया था। इसके बाद उसने वर्ष 2011 से अतिरिक्त शुल्क देकर वर्ष 2020 तक लगातार हेल्थ पॉलिसी ली, तब वह बीमार

- लोक अदालत ने यह आदेश देते हुए एच.डी.एफ.सी. की अरगो जनरल इश्योरेंस कम्पनी पर 22,000 रु. का जुर्माना लगाया। लोक अदालत ने कहा हैल्थ पॉलिसी होने के बाद भी इलाज खर्च नहीं देना “अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस” है।

नहीं था। वहीं मौजूदा बीमारी का पुरानी बीमारी से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में इश्योरेंस कंपनी परिवारी को इलाज पर खर्च हुई राशि देने से मना नहीं कर सकती।

परिवार में कहा गया कि, परिवारी ने विपक्षी कंपनी से लगातार रिन्यू कराने के बाद वर्ष 2019 से 2020 की अवधि के लिए हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इस दौरान उसे गले में निगलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर्स को दिखाया। जांच में पता चला कि उसे अडेनाकासिनोमा ऑफ ईसोफेगस बीमारी है। उसने मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल सहित जयपुर के दुर्लभजी हॉस्पिटल में इलाज कराया और जब 0०कैशलेस सुविधा देने के लिए कहा तो इश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। वहीं, जब परिवारी ने इलाज पर खर्च हुई दस लाख रुपए की राशि मांगी तो इश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि, उसे बीमारी पहले ही थी। परिवारी ने इसे स्थाई लोक अदालत में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए इलाज में खर्च राशि लौटाने को कहा है।


MARUTI SUZUKI

NEXA

AN SUV MADE TO MATCH YOUR STRIDE.

PRESENTING

FRONX

THE SHAPE OF NEW





Scan to know more about FRONX

CREATE. INSPIRE.



1.0L Turbo Boosterjet Engine with Progressive Smart Hybrid



360 View Camera



Head Up Display



NEXTre® Rear Combination Lights



In-Built Suzuki Connect



Wireless Charger

VISIT YOUR NEAREST NEXA DEALERSHIP OR LOG ON TO WWW.NEXAEXPERIENCE.COM TO BOOK YOUR TEST DRIVE.

CONTACT YOUR NEAREST NEXA DEALER: **JAIPUR:** NEXA MANSAROVAR (AURIC MOTORS PH: 8929207442, 7075270752), **NEXA VKIA SIKAR ROAD** (SATNAM MOTOCORP PVT. LTD. PH: 9116639102), **NEXA QUEENS ROAD** (KP AUTOMOTIVES PH: 7230030501), **NEXA TONK ROAD** (PREM MOTORS PVT. LTD. PH: 8058499999), **NEXA AJMER ROAD** (VIPUL MOTORS PVT. LTD. PH: 9116032607), **AJMER:** NEXA MAKHUPURA (NAVNEET MOTORS PH: 9116116501, 9116116502), **ALWAR:** NEXA MANHAR VILLA (FORTUNE CARS PH: 7230029424), **BHIWADI:** NEXA BHIWADI CENTRAL (FORTUNE CARS PH: 9214794313), **BHILWARA:** NEXA SUKHADIA CIRCLE (CHAMPION CARS PH: 8081133333), **BIKANER:** NEXA JAIPUR ROAD (AURIC MOTORS PH: 7230081665), **JHUNJHUNU:** NEXA JHUNJHUNU CENTRAL (AURIC MOTORS PH: 7412087314), **JODHPUR:** NEXA CHOPASNI ROAD (LMJ SERVICES LTD. PH: 7230013811), **NEXA SHASTRI CIRCLE** (AURIC MOTORS PH: 8875012697), **PALI:** NEXA PALI SUMERPUR ROAD (LMJ SERVICES PVT. LTD. PH: 7230013801), **KOTA:** NEXA AERODROME CIRCLE (BHATIA & COMPANY PH: 9414079018), **JHALAWAR:** NEXA JHALAWAR SOUTH (BHATIA & COMPANY PH: 9116108619), **NAGAUUR:** NEXA BIKANER ROAD NAGAUUR (SHRI MANGALAM AUTO PVT. LTD. PH: 6399292929), **BHARATPUR:** NEXA BHARATPUR CENTRAL (TM MOTORS PVT. LTD. PH: 9785838888), **SIKAR:** NEXA SIKAR JAIPUR ROAD (JAMU AUTOMOBILES PVT. LTD. PH: 9694412777), **SRI GANGANAGAR:** NEXA GANGANAGAR NORTH (AURIC MOTORS PH: 7412092301), **UDAIPUR:** NEXA GOVERDHAN VILAS (TECHNOY MOTORS PH: 9116007250, 8306300695), **NEXA CENTRAL UDAIPUR** (NAVNEET MOTORS PH: 7665016580), **DAUSA:** NEXA JAIPUR AGRA BYPASS DAUSA (VIPUL MOTORS (P) LTD. PH: 9829560109), **CHITTORGARH:** NEXA CHITTORGARH CENTRAL (TECHNOY MOTORS PH: 9116007250).

Accessories and features shown may not be part of standard equipment. Black glass on the vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purposes only.

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाणा हाउस, हनुमान हव्वा, बीकानेरा फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुरा फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-भूपत घाटी, जयपुर रोड,अजमेर फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 236906, 236907, फैक्स:01562-236908